बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

आदेश

आ0सं0–12 / वि0प0–11–02 / 2026

मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, नालन्दा, बिहारशरीफ के पत्रांक–2893 दिनांक 22.08.2026 द्वारा प्राप्त अनुशंसा एवं आंतरिक वित्तीय सलाहकार के परामर्श के आलोक में श्रीमती ज्योति कुमारी, (जे0 12232) कनीय अभियंता (असैनिक), सिंचाई प्रमंडल, घोषी के द्वितीय संतान के प्रसव के दौरान दिनांक 16.05.2025 को उनके नवजात बच्चे की मृत्यु हो जाने के कारण दिनांक 17.05.2025 से 27.06.2025 तक कुल–42 (बयालिस) दिनों का वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–9889 दिनांक 01.12.2015 के कंडिका–3 एवं बिहार सेवा संहिता के नियम–220 में निहित प्रावधानों के तहत प्रसव अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. नियंत्री पदाधिकारी उक्त अवकाश को HRMS Portal एवं सेवापुस्त में प्रविष्टि करना सुनिश्चित करेंगे।

3. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0 / –
(मनीष आनंद)
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक – पटना, दिनांक –

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, जहानाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक – पटना, दिनांक –

प्रतिलिपिः– मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, नालन्दा, बिहारशरीफ को उनके पत्रांक–2893 दिनांक 22.08.2026 के प्रसंग में / अधीक्षण अभियंता, सिंचाई अंचल, नालन्दा, बिहारशरीफ / कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, घोषी / श्रीमती ज्योति कुमारी, (जे0 12232) कनीय अभियंता (असैनिक), सिंचाई प्रमंडल, घोषी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक – 5843 पटना, दिनांक – 07/10/2026

प्रतिलिपि– कार्यपालक अभियंता, आई0टी0, सूचना प्रावैद्यिकी केन्द्र, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित पदाधिकारियों के ई–मेल पता पर भेजने हेतु प्रेषित।

06/10/26
अवर सचिव (प्रबंधन)।